उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 25.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, चोरी की घटना कारित करने वाले 04 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की सम्पत्ति की बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक-24.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित व0उ0नि0 मलखान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 178/25 धारा 305(a)/317(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 04 नफर वांछित अभि0गण क्रमशः 1.सोनू पुत्र श्री अखिलेश द्विवेदी उम्र करीब 26 वर्ष, 2.राहुल परिहार पुत्र श्री सत्तीदीन परिहार उम्र करीब 25 वर्ष, 3.छोटू पुत्र कल्लू बसोर उम्र करीब 25 वर्ष, 4.जुगराज पुत्र सीताराम अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासीगण मु0 मोचीपुरा लौड़ापहाड़ थाना कबरई जनपद महोबा को कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 मलखान सिंह
2. उ0नि0 अंकित कुमार यादव, 3.उ0नि0 शिल्पी राजपूत
4. हे0कां0 संदीप कुमार, 5.कां0 धर्मेन्द्र कुमार, 6.कां0 राहुल अग्निहोत्री

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद सम्पत्तिः-

अभियुक्तगण के कब्जे से क्रमशः 1.सोनू पुत्र अखिलेश द्विवेदी उम्र करीब 26 वर्ष (जामातलाशी से एक प्लास्टिक की बोरी में 02 अदद बैरिंग लोहे की) 2.राहुल परिहार पुत्र सत्तीदीन परिहार उम्र करीब 25 वर्ष (जामातलाशी से एक प्लास्टिक की बोरी में 01 अदद बैरिंग लोहे की बड़ी क्रेशर की) 3.छोटू पुत्र कल्लू बसोर उम्र करीब 25 वर्ष (जामातलाशी से एक प्लास्टिक की बोरी में 01 अदद बैरिंग लोहे की बड़ी क्रेशर की) 4.जुगराज पुत्र सीताराम अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष (जामातलाशी से एक प्लास्टिक की बोरी में 01 अदद बैरिंग लोहे की बड़ी क्रेशर की) समस्त निवासीगण मु0 मोचीपुरा लौड़ापहाड़ थाना कबरई जनपद महोबा तथा चारों अभियुक्तों के पास ही रखी बोरियों में से एक बोरी में 02 अदद बैरिंग लोहे की क्रेशर की व एक बोरी में 01 अदद रूली लोहे व 02 अदद ब्रेकट लोहे की व एक बोरी में 02 अदद यूसीपी लोहे की व एक बोरी में 02 अदद प्लेट लोहे की क्रेशर का सामान बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सोनू पुत्र श्री अखिलेश द्विवेदी उम्र करीब 26 वर्ष

2.राहुल परिहार पुत्र श्री सत्तीदीन परिहार उम्र करीब 25 वर्ष

3.छोटू पुत्र कल्लू बसोर उम्र करीब 25 वर्ष

4.जुगराज पुत्र सीताराम अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासीगण मु0 मोचीपुरा लौड़ापहाड़ थाना कबरई जनपद महोबा।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 25.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम जिसमें व0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी ने थानाक्षेत्र के ग्राम कुनाटा से प्रधान न्यायालय परिवार न्यायालय महोबा के द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट के क्रम में एक नफर वारण्टी अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र सुखनन्दी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0 112/2024 धारा 128 सीआरपीसी थाना महोबकंठ थाना पनवाड़ी महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार कर वारंटी उपरोक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस:-

1. वरि0उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी

गिरफ्तार अभियुक्त –

देवेन्द्र कुमार पुत्र सुखनन्दी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए थानाक्षेत्र के ग्राम रिवई के पास चेकिंग के दौरान 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस अवैध 315 बोर के साथ अभियुक्त लाल बहादुर अहिरवार पुत्र स्व0 गोरेलाल उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी को हिरासत में लिया है, अभियुक्त के कब्जे से हुई अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के सम्बन्ध में थाना चरखारी में मु0अ0सं0 128/2025 धारा 3/25 A Act का अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. अनूप कुमार पाण्डेय
2. हे0का0 दयाराम कुशवाहा
3. का0 राहुल यादव

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी –

लाल बहादुर अहिरवार पुत्र स्व0 गोरेलाल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप जे0एम0 कोर्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रकरण में पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 1500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 2327/2010 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त उदयभान पुत्र चेतराम निवासी मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 1500/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ने दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किया है...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जेएम कार्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने से सम्बन्धित आरोपी 02 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 02-02 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 47/2009 धारा- 504/506 भादवि से सम्बंधित आरोपी 02 अभियुक्तों क्रमश: 1.रमेश पुत्र मंगल लाल 2.रविन्द्र पुत्र रामेश्वर यादव निवासी बछेछर खुर्द महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 02-02 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाते हुए दुर्घटना करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 02 हजार रु. के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे0एम0 कोर्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 593/2011 धारा- 279/427 भादवि से सम्बंधित आरोपी अभियुक्त कामता प्रसाद पुत्र धनीराम निवासी बमरेथा थाना चरखारी जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी 02 अभियुक्तों को 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

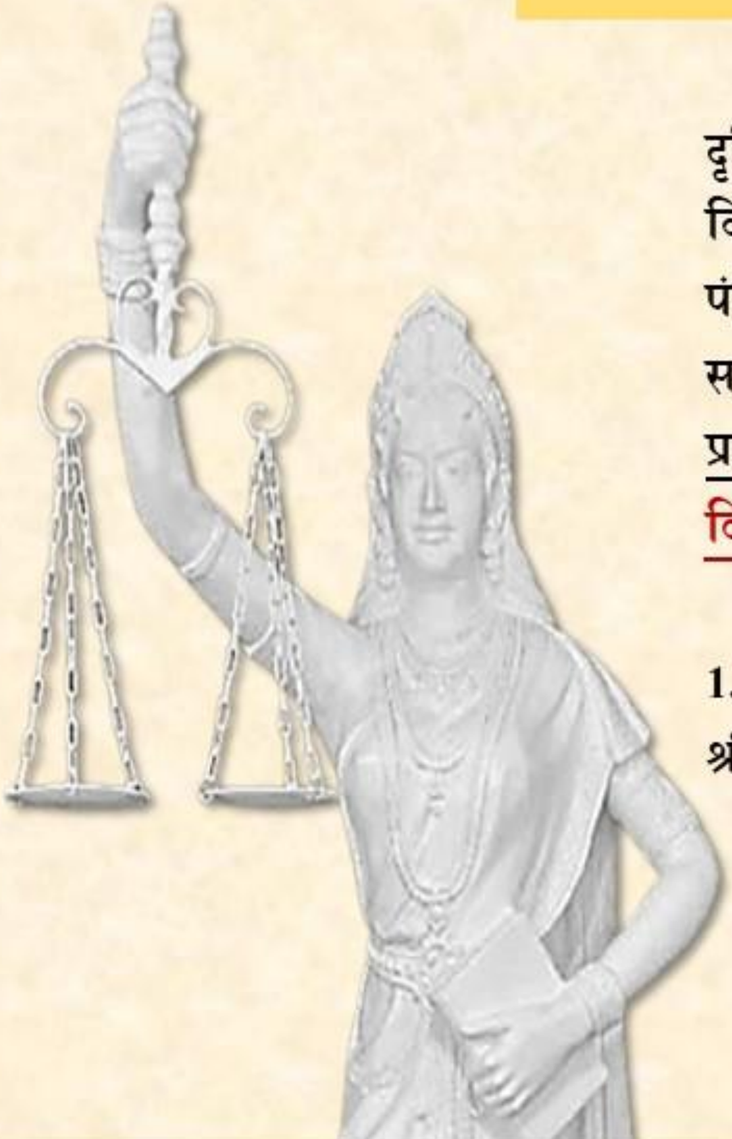

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में थाना श्रीनगर में पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में सम्बन्धित 02 नफर शातिर अभियुक्तों को मा0 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी कोर्ट) महोबा द्वारा "गैंगेस्टर एक्ट" में आरोपी 02 अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु,अ.सं. 117/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.धरम सिंह लोधी पुत्र हल्काई लोधी 2.स्वामीदीन अहिरवार पुत्र घनश्याम निवासीगण निवासी भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सुरेन्द्र राजपूत,
जिला शासकीय अधिवक्ता

हे.कां. बलजीत सिंह
पैरोकार थाना श्रीनगर महोबा